

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-20-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सागर की तहसील सागर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-1 के पटवारी हल्का क्र. 49 से 54 एवं 62 से 67 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-2 के पटवारी हल्का क्र. 68 से 77 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-1 के पटवारी हल्का क्र. 49 से 54 एवं 62 से 67 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त सागर-2 के पटवारी हल्का क्र. 68 से 77 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सागर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 22 पटवारी हल्के होंगे और 39 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सागर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-20-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-20-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-20-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Sagar of District Sagar from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 49 to 54 and 62 to 67 of Revenue Inspector Circle Sagar-1 and Patwari Halka No. 68 to 77 of Revenue Inspector Circle Sagar-2, and creates a new Tehsil Sagar nagar by comprising of Patwari Halka No. 49 to 54 and 62 to 67 of Revenue Inspector Circle Sagar-1 and Patwari Halka No. 68 to 77 of Revenue Inspector Circle Sagar-2, in which the total Patwari Halkas shall be 22 and villages Shall be 39. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sagar.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-21-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 18 से 20, 22, 37 एवं 45 से 53 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील भिण्ड के पटवारी हल्का क्र. 18 से 20, 22, 37 एवं 45 से 53 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील भिण्ड नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 26 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय भिण्ड में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-21-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-21-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-21-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Bhind of District Bhind from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 18 to 20, 22, 37 and 45 to 53 and creates a new Tehsil Bhind Nagar by comprising of Patwari Halka No. 18 to 20, 22, 37 and 45 to 53 of Tehsil Bhind, in which the total Patwari Halkas shall be 14 and villages Shall be 26. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bhind.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.